बलराम बनाम सरकार - 03/22
ग्राम पंचायत आदि बनाम सरकार - 21/14

3-12-25

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक अपीलांट उपस्थित नहीं। अभिभाषक रेस्पोडेंट उपस्थित। अभिभाभषक रेस्पोडेंट ने कथन किए कि पत्रावली बहस के स्तर पर लम्बित चल रही है। अतः अभिभाषक अपीलांट के अनुपस्थित रहने की स्थिति में पत्रावली को अदम पैरवी में खारिज ना करके गुणावगुण पर निस्तारित किया जावे। अपने कथनों के समर्थन में अभिभाषक रेस्पोडेंट ने न्यायिक दृष्टांत एआईआर 1966 एएलएल 1 पेश किया। अभिभाषक रेस्पोडेंट द्वारा पेश न्यायिक दृष्टांत का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण 10 वर्ष से अधिक पुराना अतः प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना अधिक न्यायोचित है। प्रकरण वास्ते निस्तारण गुणावगुण दिनांक 23–12–2025 को पेश हो।

23-12-25

हस्तगत प्रकरण में रेस्पोडेंट संख्या 02 ता 10 द्वारा एक प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 8(2) राजस्थान उपनिवेशन सामान्य शर्ते 1955 के अर्न्तगत प्रस्तुत कर अपनी अपनी भूमि में जाने के लिए 2–2 बिस्वा रास्ता मन्जूर करवाया। वर्तमान में यह रास्ता चक नंबर 2 एनडब्ल्यूएन पत्थर नंबर 139/241, 139/240, 139/239, 139/238/139/237 प्रत्येक के किला नंबर 5, 6, 15, 16, 25 पत्थर नंबर 139/236 किला नंबर 15, 16, 25 में स्वीकृत करवा लिया। इस रास्ते के दक्षिण में पक्की सडके व उतर में रेलवे लाईन है अतः इस रास्ते की अब कोई आवश्यकता नहीं है। रेस्पोडेंट संख्या 19, 20 ने हाजिर आकर प्रार्थना पत्र का विरोध किया एवं तहसीलदार पटवारी हल्का रिपोर्ट मांगी गई जिन्होंने रिपोर्ट में आने जाने के लिए रास्ता स्वीकृत होना दर्शाया। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11–02–2011 को पारित करते हुए पत्थर नंबर 139/241 किला नंबर 5, 6, 15, 16, 25 में स्वीकृत 2–2 बिस्वा रास्ता को स्वीकृत कर दिया। जिसके विरूद्ध अपीलीय न्यायालय में अपील पेश कि गई। अपील के अर्न्तगत रेस्पोडेंट संख्या 5, 6 का रेस्पोंडेंट संख्या 8, 9 से राजीनामा दिनांक 18–07–2011 को हो गया जिसके अनुसरण में मामले की पुनः सुनवाई हेतु एवं राजीनामें को यथावत् रखते हुए निर्णय पारित करने के निर्देश अपील अदालत से अधीनस्थ न्यायालय को दिये गये। अधीनस्थ न्यायालय में पुनः पत्रावली आने पर दिनांक 16–01–2014 को निर्णय पारित आदेश दिया चक 2 एलडब्ल्यूएन के पत्थर नंबर 139/238 ता 139/240 प्रत्येक के किला नंबर 5, 6, 15, 16, 25 में 0.025 हैक्टैयर रास्ता को निरस्त किया जाता है।

हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं संबंधित दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ पत्रावली के अवलोकन से ध्यान में आया की अपील पेश करने वाले अपीलांट संबंधित दावे में अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार ही नही थे व अपीलांट संख्या 01, 04, 05, 08 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आदेश 01 नियम 10 प्रार्थना पत्र भी पेश किया जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खारिज किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय के जैर अपील पारित

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

आदेश दिनांक 11–02–2011 की अपील न्यायालय हाजा में कि गई थी जिसमें दिनांक 18–07–11 को राजीनामा होने के बाद अपीलीय न्यायालय ने राजीनामें को यथावत रखते हुए पुनः आदेश पारित करने के निर्देश दिये गये थे। उक्त राजीनामे के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 16–01–2014 को जैर अपील आदेश पारित किया। धारा 96(2) सीपीसी के आधार पर राजीनामें से हुए आदेश की अपील पोषणीय नहीं होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज कि जाती हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 16–01–2014 यथावत बहाल रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील व तक्मील दाखिल दफ्तर हो।

राजस्व अपील अधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकनेर।